

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूँ, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, बलरामपुर, गोरखपुर,
कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ एवं मऊ।

पत्रांक-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023-24 / 176

लखनऊ / दिनांक- 21-04-2023

विषय-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन/क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 20.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से आपके जनपद में संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 के प्रभावी संचालन में तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में कृपया अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1080 / नौ-9-21-121ज/20, दिनांक 08 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन्-1950) की धारा- 437, धारा-438 की उपधारा (1) के खण्ड-(घ), धारा-452 और धारा-541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समर्त जनपदों में नगर निगम के सभी क्षेत्रों में वेन्डर लाइसेन्सिंग प्रक्रिया लागू किया गया था साथ ही सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप-583/पांच-7- 2019, दिनांक 16.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में तम्बाकू उद्योगों के हस्तक्षेप को रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा नामित क्षेत्रीय समन्वयकों/प्रतिनिधियों से आवश्यक तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का सफल संचालन/क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु संस्था के क्षेत्रीय समन्वयक आपसे शीघ्र सम्पर्क करेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में उक्त संस्था अथवा सहयोगी संस्था को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील पाण्डेय)

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0।
तद्दिनांक

पत्रांक-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023-24 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (ई-मेल के माध्यम से) :

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. मण्डलीय पुलिस आयुक्त, आजमगढ़, मेरठ, आगरा, बरेली, मीरजापुर, बरती, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं देवीपाटन मण्डल।
3. अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूँ, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ एवं मऊ।
4. अधिशासी निदेशक, यूपी0वी0एच0ए, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने अधीन कार्यरत क्षेत्रीय समन्वयक/प्रतिनिधियों को उपरोक्तानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सुनील पाण्डेय)

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूँ, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, बलरामपुर, गोरखपुर,
कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ एवं मऊ।

पत्रांक-:राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023-24 /

लखनऊ / दिनांक- 21-04-2023

विषय-:राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन/क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 20.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से आपके जनपद में संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 के प्रभावी संचालन में तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में कृपया अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1080 / नौ-9-21-121ज/20, दिनांक 08 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन्-1950) की धारा- 437, धारा-438 की उपधारा (1) के खण्ड-(घ), धारा-452 और धारा-541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिंगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समर्त जनपदों में नगर निगम के सभी क्षेत्रों में वेन्डर लाइसेन्सिंग प्रक्रिया लागू किया गया था साथ ही सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप-583/पांच-7- 2019, दिनांक 16.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में तम्बाकू उद्योगों के हस्तक्षेप को रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा नामित क्षेत्रीय समन्वयकों/प्रतिनिधियों से आवश्यक तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का सफल संचालन/क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु संरथा के क्षेत्रीय समन्वयक आपसे शीघ्र सम्पर्क करें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में उक्त संरथा अथवा सहयोगी संस्था को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0।

तददिनांक

पत्रांक-:राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023-24 / 177-80


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (ई-मेल के माध्यम से) :

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. मण्डलीय पुलिस आयुक्त, आजमगढ़, मेरठ, आगरा, बरेली, मीरजापुर, बस्ती, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं देवीपाटन मण्डल।
3. अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूँ, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ एवं मऊ।
4. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने अधीन कार्यरत क्षेत्रीय समन्वयक/प्रतिनिधियों को उपरोक्तानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सुनील पाण्डेय)

राज्य नोडल अधिकारी,

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0।



Phone : 0522-2725586
E-mail : upvhalko@gmail.com
upvha_lko@yahoo.com
Website : www.upvha.org

Uttar Pradesh Voluntary Health Association

5/459 Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Ref. No. UPVHA/NTCP/ 12 /2023

20th April 2023
Date

To,

The State Nodal Officer,
National Tobacco Control Program
State Tobacco Control Cell
Swasthya Bhawan, Lucknow

Subject: Request for support letter to all project districts for implementation of "Strengthen and Sustain Tobacco Control in the State of Uttar Pradesh through capacity building and effective implementation of tobacco control laws and policies while mitigating tobacco industry interference" in 13 selected districts of Uttar Pradesh.

Dear Sir,

Greetings from U.P. Voluntary Health Association, Lucknow.

In reference to the subject you are aware that UPVHA is supporting STCC & DTCC for implementation on National Tobacco Control Program by supporting State and District Tobacco Cells through capacity building, and institutionalization of tobacco control and coalition building since 2010 under The Union supported project.

Now UPVHA has started implementing "Strengthen and Sustain Tobacco Control in the State of Uttar Pradesh through capacity building and effective implementation of tobacco control laws and policies while mitigating tobacco industry interference" in Uttar Pradesh in 13 districts- Firozabad, Etah, Kasganj, Badaun, Mirzapur, Sonebhadra, Sant Ravidas Nagar, Balrampur, Gorakhpur, Kushinagar, Siddharth Nagar, Meerut and Mau with prime objectives to provide support in implementation NTCP, institutionalize tobacco control, advance MPOWER policies and support enforcement of tobacco control provisions, advance adoption of a tobacco vendor licensing policy and its implementation in local urban bodies and monitoring of tobacco industries interference in tobacco control.

Also to support State Tobacco Cell towards the adoption of a tobacco free generation policy with the cooperation of all departments& to monitor brands, volume and retail price of tobacco products including ENDS to inform policymakers and illicit trade in the state.

In this regards this is requested to release a letter to the 'project districts for extending support to Project Staff for successful implementation of Project.

Looking thanks and regards!

Yours Sincerely,


(Vivek Awasthi)
Project Lead/ Executive Director
Mob. 9415182514